

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला-खण्डवा

क्रमांक/स्थापना/नियुक्ति/प्रा.शि.खेल/2026/3184

खण्डवा, दिनांक 04.07.2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक खेल पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक खेल के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

SN	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6006250629014	206	BHAGWAN MAHAJAN F/H Name- BHIKA MAHAJAN	E 05 C.K GREENS COLONY C K GREENS BURHANPUR BUR MADHYA PRADESH 450331	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23290711616 GHSS EXCELLENCE KHANDWA(9 to 12)	Khandwa
2	6006250746821	224	BHUPENDRA YADAV F/H Name- SIDDHANATH YADAV	840 SHANTOSHI MATA WARD NO 32 SHANTOSHI MATA WARD KHANDWA KHD MADHYA PRADESH 450001	OBC	OBC/X/OP	DISE- 23290302411 GOVT SANDIPANI HSS CHHAIGAONMA KHAN	Khandwa
3	6004250702716	422	SHIVANI YADAV F/H Name- JITENDRA YADAV	111 BORAWAN BORAWAN KASRAWAD KRG MADHYA PRADESH 451228	OBC	UR/X/OP	DISE- 23290704408 GOVT SANDIPANI HSS JAWAR	Khandwa
4	6004250784030	476	ATUL ATRE F/H Name- CHANCHAL ATRE	B103 AADARSH NAGAR KHANDWA ROAD KHARGONE KRG MADHYA PRADESH 451001	UR	UR/X/OP	DISE- 23290914110 PMSHri-GHSS SULGAON(1 to 12)	Khandwa
5	6004250673687	527	SAPAN SHARMA F/H Name- PANDHARI NATH SHARMA	78 ARIHANT NAGAR BHILGAON POST BHILGAON KASRAWAD KRG MADHYA PRADESH 451228	EWS	UR/X/OP	DISE- 23290912818 PMSHri-GHSS GIRLS PUNASA(6 to 12)	Khandwa
6	6005250724649	543	MANISH KUMAR SINGH F/H Name- SURENDRA PRATAP SINGH	NA CHUPPEPUR GHAMAHAPUR VARANASI VARANASI UTTAR PRADESH 221105	UR	UR/X/OP	DISE- 23290812709 GOVT SANDIPANI HSS PANDHANA	Khandwa
7	6004250693595	770	ROSHNI MUKATI F/H Name- GULAB SINGH	0 MAZDA PARK COLONY KODARIYA MHOW IND MADHYA PRADESH 453441	OBC	UR/X/OP	DISE- 23290912817 GHSS EXCELLENCE PUNASA(1 to 12)	Khandwa
8	6006250788309	808	MANOJ KISHAN BAGLE F/H Name- KISHAN BAGLE	GRAM POST MORTALAI PANSEMAL BDW MADHYA PRADESH 451881	SC	SC/X/OP	DISE- 23290915503 GOVT SANDIPANI HSS MUNDI	Khandwa
9	6006250722604	881	BHAVESH HIRE F/H Name- PRAKASH CHANDRA HIRE	0 WARD N 03 KHALWA POLICE ABADI KHALWA KHALWA KHD MADHYA PRADESH 450117	SC	GF/SC/XOP	DISE- 23290410102 GOVT SANDIPANI HSS HARSUD	Khandwa
10	6004250642871	1032	PANKAJ BARDE F/H Name- SAKHARAM BARDE	292 WARD 13 GRAM VAJHAR NIWALI BDW MADHYA PRADESH 451770	ST	ST/X/OP	DISE- 23290410803 PMSHri-GHSS GIRLS HARSUD(6 to 12)	Khandwa

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थियों को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक खेल पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- IV. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- V. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- VI. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- VII. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- VIII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- IX. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- X. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XI. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का Cप्रमाणपत्र
- XII. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XIII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट- 1)
- XIV. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिंदु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र / जाति / निःशक्ता / शैक्षणिक योग्यता / शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(बलवंत पटेल)
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-खण्डवा

पृ.क्रमांक/स्थापना/नियुक्ति/प्रा.शि.खेल/2026/3185
प्रतिलिपि:-

खण्डवा, दिनांक 04.07.2026

01. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
03. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
04. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
05. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।
06. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
07. संभागायुक्त इन्दौर मध्यप्रदेश ।
08. कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश ।
09. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इन्दौर मध्यप्रदेश ।
10. कोषालय अधिकारी जिला खण्डवा, म.प्र. ।
11. विकासखंड शिक्षा अधिकारी खण्डवा/छैगांवमाखन/पुनासा/पंधाना/हरसूद जिला खण्डवा, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पदांकित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
12. संकुल, प्राचार्य ————— विकासखंड खण्डवा/छैगांवमाखन/पुनासा/पंधाना/हरसूद जिला खण्डवा मध्यप्रदेश ।
13. चयनित अभ्यर्थी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति दें।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-खण्डवा

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं.....विभाग में.....शिक्षक पद पर नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

(1) मैं.....पुत्र/पुत्रीश्री.....निवासीग्राम/कस्बा/शहर.....जिलामध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

(2) मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मेरा जाति प्रमाण-पत्र एवं वर्ष 2021-22 का आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

रोल नम्बर.....

:: शपथ पत्र::

फोटो

मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....
 शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ-

1. यह कि मेरा चयन.....पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जोकि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात नहीं हुआ है।
11. मैं अविवाहित हूँ / मैंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह नहीं किया है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 11 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान में किया गया है।

शपथग्रहिता